

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)


कॉन्क प. १(१)राज/वाद/१०

जयपुर, दिनांक ०१-०६-२०२२.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २४ (३) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल १९९९ के नियम १५(२) १६ एवं १७ के अनुसार, श्री गुटयारी सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं० अर/२३९५/२००७) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, वैर (जिला भरतपुर) में सज्ज सरकार की ओर से बैर्री करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, वैर (जिला भरतपुर) के स्थिर पद पर मासिक रिटेंरशिप रूपये १७,६४०/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १ प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
- २ विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- ३ विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
- ४ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- ५ महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- ६ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- ७ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर।
- ८ अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, वैर जिला भरतपुर।
- ९ जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप श्री गुटयारी सिंह, अधिवक्ता से कार्यग्रहण से पूर्व विधि एवं विधिक कार्य नियमावली १९९९ के नियम १६ के अनुरूप इनसे घोषणा पत्र प्राप्त कर इन्हें पद का कार्यग्रहण करावें।
- १० कौषाधिकारी, भरतपुर।
- ११ संबंधित अभियोजक।
- १२ अधीक्षक, सज्ज केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- १३ सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- १४ प्रो.स. विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- १५ रजिस्ट्रार मन्त्रालय।



(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण